कार्यालय नगर पालिका नदबई (भरतपुर)

क्रमांक :– न.पा.न./स्टोर/2017–18/4102–05 दिनांक :– 20.03.2017

NIT No.03/2017-18

नगर पालिका नदबई द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये निम्न कार्यों को करवाने वास्ते टैण्डर दरें आमंत्रित की जा रही हैं। निविदाऐं निर्धारित तिथि को दोपहर 12 बजे तक वेचान कर दोपहर 2 बजे तक बन्द लिफाफे में प्राप्त की जाएंगी। अतः इच्छुक व्यक्ति/ठेकेदार अपने दस्तावेजों के साथ नियत तिथि व समय पर उपस्थित होकर निर्धारित निविदा फॉर्म प्राप्त कर अमानत राशि एवं दस्तावेज जमा कर टैण्डर प्रस्तुत करें। टैण्डर निर्धारित दिनांक को सांय 4 बजे उपस्थित संवेदकों के समक्ष खोले जावेंगे। शेष जानकारी किसी भी कार्य दिवस में नगर पालिका से प्राप्त की जा सकती है।

क्र	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	निविदा शुल्क	अमानत राशि	टैण्डर दिनांक
1	कुण्डा बोरिंग चौकीदारी	1.00	200/–	2000/–	31.03.2017
2	कम्प्यूटर ऑपरेटर	3.00	200/–	6000/–	31.03.2017
3	विद्युत मरम्मत	3.00	200/–	6000/–	31.03.2017
4	सफाई उपकरण (परात, फावडा, गेंती, पंजी व अन्य सामान) सप्लाई	0.80	200/–	1600/–	31.03.2017
5	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु कैमरा व माईक्रोफोन लगाने का कार्य	0.35	200/–	700/–	31.03.2017

शर्तें :–

1. ठेका प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए लगवाये जावेंगे।
2. प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा श्रम विभाग द्वारा निर्धारित एवं समकक्ष विभागीय आदेशों से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान कर्मचारी के सीधे बैंक खाते में RTGS/NEFT या चैक द्वारा भुगतान करना होगा। इस प्रक्रिया का सम्पूर्ण रिकॉर्ड मासिक भुगतान लेने से पूर्व नगर पालिका को प्रस्तुत करना होगा। रिकॉर्ड उपलब्ध करवाये बिना भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।
3. कार्मिकों की सूची उनके आधार कार्ड/पहचान पत्र के साथ मय बैंक खाता नगर पालिका को उपलब्ध करानी होगी।
4. निविदा शर्तों का पालन नहीं करने पर अमानत राशि जब्त करते हुए ब्लैकलिस्ट करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
5. संवेदक फर्म/संस्था के सेवा दोष होने पर, सेवा देने में असफल होने पर, किसी भी प्रकार की जनहानि होने पर, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगडने पर या ऐसी स्थिति पैदा होने पर अमानत राशि जब्त करते हुए रिस्क एण्ड कोस्ट पर कार्य कराया जावेगा तथा एफ.आई.आर. अभियोजन की कार्यवाही करते हुए ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
6. संवेदक फर्म/संस्था को भुगतान के बिल से केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के नियमानुसार कटौतियां की जावेंगी। साथ ही केन्द्र/राज्य सरकार यदि कोई नया आदेश या नियम लागू करती है तो उसकी भी पालना सुनिश्चित की जावेगी।
7. समस्त विवादों की स्थिति में न्याय क्षेत्र नदबई होगा।
8. कम्प्यूटर ऑपरेटर हेतु कम से कम RSCIT का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। साथ ही देवनागरी लिपि, अंग्रेजी व यूनीकोड भाषा की न्यूनतम टाईपिंग स्पीड 25 शब्द प्रति मिनिट होना आवश्यक है तथा माईक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंटरनेट, वैबसर्फिंग, राज्य सरकार के वैब एप्लीकेशन पर कार्य करने में दक्ष होना आवश्यक है।
9. विद्युत मरम्मत के कार्य हेतु कार्मिक द्वारा इलैक्ट्रिशीयन ट्रेड से न्यूनतम आई.टी.आई. डिप्लोमा होना अनिवार्य है।
10. विद्युत संबंधी कार्यों में कार्मिक को समस्त आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी संवेदक फर्म की होगी। कार्मिक के साथ किसी भी प्रकार की जनहानि के लिये पालिका प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा।
11. चौकीदारी के लिये श्रमिक का श्रम विभाग में पंजीयन होना आवश्यक है।
12. श्रमिक को पी.एफ. का भुगतान सरकार के नियमानुसार देय होगा। गत माह का सर्विस टैक्स एवं ई.एस.आई., पी.एफ. राशि जमा कराने की रसीद बिल के साथ प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका नदबई

क्रमांक :– न.पा.न./स्टोर/2017–18/ दिनांक :–

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ :–

1. संवाददाता दैनिक नव ज्योति नदबई को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा का प्रकाशन क्षेत्रीय संस्करण में कम से कम कॉलम में आज ही प्रकाशित कर बिल की प्रति नगर पालिका को भिजवायें।
2. श्री अनिल कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा को विभाग की वेब साईट व पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. लेखाशाखा, नगर पालिका नदबई।
4. स्टोर शाखा, नगर पालिका नदबई।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका नदबई